

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,

शाखा कार्यालय, एच-21, ऋषिलोक कालोनी, ऋषिकेश, जिला-देहरादून।

पत्रांक 0088 / वाद संख्या सी-0510/2025

दिनांक: 06/05/2026

सेवा में,

पुलिस क्षेत्राधिकारी

ऋषिकेश, जिला देहरादून।

विषय:- दिनांक 06/05/26 को स्थल आस्था पथ, गंगा विहार कालौनी, निकट हाईट आउट कैफे ऋषिकेश जिला देहरादून में अनाधिकृत निर्माण सील किये जाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने विषयक।

कृपया अनाधिकृत भवन निर्माणकर्ता श्री संदीप चौधरी/भवन स्वामी, आस्था पथ, गंगा विहार कालौनी, निकट हा: आउट कैफे ऋषिकेश जिला देहरादून के द्वारा उपरोक्त स्थल पर लगभग 30 गुणा 70 फिट के क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया अनाधिकृत निर्माण कार्य के विरुद्ध उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 संशोधित-2009 की सुसं धाराओं के अन्तर्गत वाद संख्या सी-0510/2025 कार्यालय के पत्रांक 3781 12/03/2026 द्वारा सीलिंग आदेश पारित करते हैं दिनांक 13/03/2026 को सील किया जाना था किन्तु विपक्षी द्वारा आन लाइन शमन मानचित्र आवेदन किये जाने के कारण सील कार्यवाही को रोक दिया गया। क्षेत्रीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता की आख्या दिनांक 05/05/2026 के अनुसार परन्तु विपक्षी द्वा पुनः शमन मानचित्र स्वीकृति से पूर्व निर्माण कार्य पुनः प्रारम्भ कर दिया गया है। लगातार शिकायतें प्राप्त होने एवं विपक्षी के लगात गतिमान निर्माण को देखते हुए उचित होगा कि निर्माण को सील किया जाए। प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत अवैध निर्माण को दिनांक 06/05/26 सील किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त नियत तिथि को अवैध निर्माण के सीलिंग की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

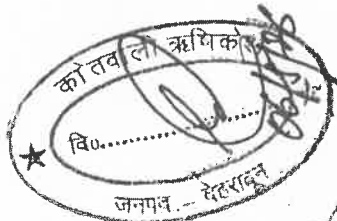
(योगेश सिंह मेहरा)

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ऋषिकेश।

पत्रांक/दिनांक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली. ऋषिकेश को इस आशय के साथ कि उक्त नियत तिथि को आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. तहसीलदार, ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को अध्यासन मुक्त करते हुए सीलिंग के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था के दृष्टिगत यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. नाजिर, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को इस निर्देश के साथ कि उक्त नियत तिथि को पूर्वान्ह 11.00 बजे 2 पूर्व शाखा कार्यालय ऋषिकेश में सीलिंग से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
4. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/सम्बन्धित प्रोसेस सर्वर, शाखा कार्यालय ऋषिकेश को इस निर्देश के साथ कि वह निर्धारित तिथि पर प्रश्नगत अनधिकृत निर्माण के सीलिंग की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करेंगे।
5. अनधिकृत निर्माणकर्ता श्री संदीप चौधरी/भवन स्वामी, आस्था पथ, गंगा विहार कालौनी, निकट हाईट आउट कैफे ऋषिकेश जिला देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।



(योगेश सिंह मेहरा)

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,
कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
ऋषिकेश।